International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709; Print ISSN: 2664-8695; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 23-09-2020; Accepted: 08-10-2020; Published: 26-10-2020
Volume 2; Issue 2; 2020; Page No. 26-28

सामाजिक अंकेक्षण व ग्राम सभाः मनरेगा के संदर्भ में

हिम्मताराम
असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ा, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी योजना की निगरानी तथा मुल्यांकन के कार्य में सरकार के साथ–साथ जनता की भागीदारी सुनिष्चित की जाकर, योजना के क्रियान्वयन के सामाजिक तथा पर्यावरर्णाय प्रभावों का भी आंकलन किया जाता है, इससे न केवल विकास कार्यों में भागीदारी बढती है बल्कि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा उपकरण है ।

मूल शब्दः सुशासन, ग्राम सभा, मनरेगा, पारदर्षिता, जवाबदेयता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अंकेक्षण

प्रस्तावना

सरकारी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब–किताब जाँचना जो कि सुशासन के संदर्भ में एक अच्छी पहल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी योजना अथवा कार्यक्रम की निगरानी तथा मूल्यांकन के कार्य में सरकार के साथ–साथ जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और इस योजना के क्रियान्वयन के सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों का भी आंकलन किया जाता है। वस्तुतः इसके अन्तर्गत जनता, गैर सरकारी संगठन तथा जागरूक जन प्रतिनिधि सरकार के साथ मिलकर किसी योजना अथवा कार्यक्रम की जमीनी हकीकत का आंकलन करते है। इस प्रकार यह प्रक्रिया सरकारी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने तथा उत्तरदायित्व को मजबूत करने के साथ–साथ समावेशी शासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से संगठन अपनी सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिताओं व सीमाओं का आंकलन करता है, साथ में यह भी देखता है कि संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति व कर्त्तव्यों की पालन की दिशा में कितना सफल रहा है? यह संगठन के गैर–वित्तीय उद्देश्यों के प्रभाव का व्यवस्थित व नियमित आंकलन करता है। इसमें संगठन के सभी हितबद्ध पक्षों जैसे–कार्मिक, ठेकेदार व स्थानीय निवासियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

ग्राम सभाः ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे समस्त वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, ग्राम सभा के सदस्य होते है।

ग्राम सभा वह सशक्त मंच है जो अपने क्षेत्र की तकदीर एवं तस्वीर दोनों ही बदल सकती है। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद–243 (क) के द्वारा ग्राम सभा को कार्य व शक्तियाँ प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया तथा संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की सूची के संबंध में योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करवाने तथा मूल्यांकन का कार्य ग्राम सभा के हाथों में दिया गया है। आज देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जो कि 2.50 लाख ग्राम पंचायतों माध्यम से ग्राम सभा से जुड़ी हुई है। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा ही संसद है या ग्राम सरकार है। पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को तो सामान्य क्षेत्रों से भी अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाकर ग्राम स्वराज की भावना पुष्ट की गई है। राजस्थान में तो मोहल्ला या वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का भी प्रावधान किया गया हैं यह सब 'अपना गांव अपना काम' की भावना पर टिका है।

ग्राम सभा के अधिकार व कार्य

- ग्रामीण विकास की योजनाएँ बनाना व उन्हें अनुमोदित करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का अनुमोदन करना।
- वार्ड सभा द्वारा चयनित व्यक्तियों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता निर्धारित करना।
- संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाण प्राप्त करना कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराये गये वित का उचित तरीके से उपयोग कर लिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना।
- समाज के सभी समुदायों के बीच भाईचारा, एकता और सौहार्द बढाना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गांवों जरूरत के अनुसार प्राथमिकता निर्धारण करना।
- ग्राम पंचायतों के कामकाज में जवाबदेयता व पारदर्शिता लाना।
- ऐसे अन्य कार्य जो समय–समय पर अधिनिय के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।
- ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों की देख–रेख करना।
- जाँच–पड़ताल के लिए ग्राम सभा को ही निगरानी/सतर्कता समिति के गठन का अधिकार हैं ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होगा। निगरानी समिति का प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर ग्राम सभा द्वारा चर्चा की जाएगी।

मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है जो मांग पर रोजगार की गारंटी का प्रतीक है इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीयुक्त मजदूरी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है, यह पहले के अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रमों के विपरित अधिकार आधारित ढाँचा है। इसकी मांग आधारित पात्रता मौलिक अधिकार सम्मान के साथ जीवन से संबंधित है जो इसे सरकारी अनुदान पर आधारित अन्य सशर्त नकद नकद हस्तांतरणों तथा सामाजिक सुरक्षा जाल से अलग करती है।

मनरेगा का मूल उद्देश्य उन प्रत्येक घरों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीयुक्त मजदूरी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाव देना है तथा कार्य साधनों से रोजगार एवं उत्पादक परिसंपत्ति सृजित होने के कारण इसका दोहरा लाभ है। क्रियान्वयन प्रक्रिया का लक्ष्य विकेन्द्रीकृत प्रजातांत्रिक शासन को मजबूत करना, समता को बढ़ावा एवं ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना है। पारदर्शिता एवं सामाजिक जवाबदेयता इस अधिनियम के क्रियान्वयन का मूल तत्व है, क्योंकि ग्रामीण सामाजिक संरचना में भेदभाव, गरीब एवं हाशिए पर रहे लोगों के अधिकार को कम करते है।

मनरेगा में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत एवं स्थानीय सरकारी कार्मिकों से स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं एवं किए गए व्यय के बाबत् खुले रूप से हिसाब लेकर वास्तविक रूप से हुये व्यय एवं निष्पादित कार्यों का सत्यापन किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा ग्राम सभा के माध्यम से धरातल पर लागु होती है और मनरेगा–2005 भी सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की मुख्य भूमिका स्वीकृत करते हुए धारा–17 में कहा गया है कि :–

- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के आरम्भ की गई योजना के अधीन सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी।
- ग्राम पंचायत सभी दस्तावेज जिनके अन्तर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाए, स्वीकृति आदेशों की प्रतियों और अन्य सम्बन्धित लेखा बहियाँ तथा कागज पत्र है, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएगी। 3
- मनरेगा अधिनियम की धारा–19 यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार, योजना के क्रियान्वयन के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निस्तारण के लिए नियमों द्वारा खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समुचित तंत्र निश्चित करेगी और ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रक्रिया निधारित करेगी।

ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम में निर्धारित की गई न्यूनतम विशेषताओं में पारदर्शिता एवं जवाब देहता को भी सम्मिलित किया गया है। मनरेगा के क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित किया गया है :

- लाभार्थियों का पंजीकरण
- जॉब कार्ड का निर्गमन एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां।
- कार्य चाहने वालों के आवेदन की पावती।
- परियोजनाओं का चयन।
- कार्यों का क्रियान्वयन।
- प्रमुख दस्तावेजों, जैसे – मस्टररोल, माप–पुस्तिका, रोजगार एव परिसंपत्ति का संधारण।
- पारिश्रमिक भुगतान।

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। निरंतर चलायमान सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से जरिये यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभान्वितों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से समावेश करते हुए और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक गतिविधि/परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों के सबसे ज्यादा अनुकूलन ढंग से संचालित की जा रही है और इस पर निगरानी हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को उत्तरदायी बनाया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण जो मनरेगा की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेयता की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करता है, जिससे अनियमितताओं व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है तथा मजदूरों के हाथों में उनका वास्तविक अधिकार सौंपती है। सामाजिक अंकेक्षण को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से खंड स्तर के विभागीय कार्मिकों एवं ग्रामीणों की संयुक्त रूप से है।

देश में इस तरह का पहला सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में अप्रेल 2006 में हुआ था।

ग्राम सभा की सामाजिक अंकेक्षण में आने वाली समस्याएँ

ग्राम सभा की नियमित व सही समय पर बैठक का न होना, ग्रामीण मतदाताओं की उपस्थिति बहुत ही कम रहना यानि गणपूर्ति का अभाव होना, महिला मतदाताओं की उपस्थिति बहुत कम रहना। इनमें इनकी अनुपस्थिति के अनेक कारण है, जैसे ग्रामीण मतदाओं में जागरूकता का अभाव, जागरूक व्यक्तियों द्वारा इनकी अवहेलना करना, बैठकों के प्रति उदासीनता, ग्रामीणों के स्वयं के कार्य, बैठकों का सही समय पर घोषण नहीं करना, पूर्व में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वयन नहीं करना या सुझाव के आधार पर कार्य नहीं करवाने के कारण ग्रामीण मतदाताओं की उपस्थिति कम रहती है और उपस्थिति ग्रामीणों द्वारा कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करना, बैठक सम्पन्न होने के पश्चात् कुछ के घर जाकर ग्रामसेवक द्वारा हस्ताक्षर करवाना एवं विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा हस्ताक्षर करवाना। ग्रामीण मतदाताओं में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी तथा जन जागरूकता के अभाव के कारण ग्राम सभा की बैठकों में इनकी उपस्थिति कम रहती है।

ग्राम सभा के सशक्तीकरण हेतु सुझाव

ग्राम सभा के कार्य, अधिकार व उत्तरदायित्वों की ग्रामीणों को पुख्ता जानकारी व शिक्षा दी जाए। इसके लिए जन–जागृति कार्यक्रम चलाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा संबंधी जनसभा, संगोंष्ठी, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरर्शन कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करने चाहिए। बैठक से पूर्व प्रचार–प्रसार आवश्यक है, बैठक का आयोजन गाँव के बीच में सार्वजनिक स्थान पर ही हो। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को ग्राम सभा के कार्य, महत्व व अधिकार व इसकी सक्रीयता पर विशेष रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए। ग्रामीणों की शिक्षा व साक्षरता को बढ़ाना, गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना, गलत परम्परा, जातिवाद, दलबन्दी, भेदभाव, भ्रष्टाचार, अस्पृश्यता, लालफीताशही व राजनैतिक नेतृत्व में सुधार होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जन प्रतिनिधियों को जागरूक करते हुए, ग्राम सभा में जनप्रतिनिधियों का जन सहयोग, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और इन संस्थाओं को अधिक स्वायतता दी जानी चाहिए, तभी ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करने में सहयोग मिलेगा।

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। यह सूचना के स्वैच्छिक घोषणा का एक प्रभावकारी माध्यम है। सामाजिक अंकेक्षण द्वारा नरेगा के क्रियान्वयन के सभी चरणों की जाँच की जाती है।
सामाजिक अंकेक्षण सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इससे न केवल विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ती है बल्कि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है।

संदर्भ सूची

1. कटारिया, सुरेन्द्र, ''ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज'', जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 2003.
2. परनामी, नैन्सी, ''राजस्थान में मनरेगा,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2013.
3. बाबेल, बसन्ती लाल, ''पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2014.
4. जोशी, आर. पी. एवं. मंगलानी, रूपा ''भारत में पंचायतीराज,'' जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2010.
5. शर्मा, अशोक, ''भारत में स्थानीय प्रशासन,'' जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 2016.
6. राठौड़, गिरवर सिंह, ''भारत में पंचायतीराज,'' जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 2004.
7. सिंह, एस. के, ''इम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड सोशियल ऑडिट'' नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेंट ऑफ इण्डिया, 2005.
8. आहूजा, राम, ''सामाजिक अंकेक्षण सर्वेक्षण एवं अनुसंधान,'' जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2003.